104

नि0/3348/I/15

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र.क्र. /2015/ निगरानी

दिनांक 14-10-15 को श्री ओ० पि० शर्मा अभि० द्वारा प्रस्तुत।
14-10-15
O.P. Sharma Adv.
14-10-2015

1- शम्भू दयाल पुत्र मिट्ठूलाल अग्रवाल
निवासी - पुरानी कचहरी के सामने
श्योपुर म0प्र0

2- ओम प्रकाश पुत्र श्री ग्यासी राम गर्ग नि.
पुलिस कोतवाली के पीछे श्योपुर जिला श्योपुर

3- उमा शंकर दुबे पुत्र श्री श्रीराम देवे नि.
द्वारकेश्वर पानी की टंकी के नीचे श्योपुर
जिला श्योपुर म0प्र0

.....प्रार्थीगण

बनाम

1- ओम प्रताप सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह
2- ज्ञान सिंह पुत्र श्री स्व. श्याम सिंह राठौर
निवासीगण सात निमडी वाली रोड श्योपुर
जिला श्योपुर म0प्र0

......प्रतिप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र निगरानी विरूद्ध न्यायालय अपरआयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्र.क्र. 124/11-12/अपील पारित आदेश दिनांक 6.8.2015 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू. रा. संहिता 1959 के तहत

महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निगरानी प्रार्थनापत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है-

.... 2

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3348–एक/15 जिला – श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.2.17	यह निगरानी आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 124/11–12/अपील में पारित आदेश दिनांक 6–8–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कस्बा श्योपुर स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 295/1 रकबा 0.063 हैक्टर, सर्वे नं. 297/1 रकबा 0.042 हैक्टर सर्वे नंबर 297/2 रकबा 0.084 हैक्टर कुल रकबा 0.189 स्थित है । जिसमें सरकारी रिकार्ड में आवेदक कमांक 1 एवं 2 का 1/4 हिस्सा आवेदक कमांक 3 का 1/4 हिस्सा तथा अनावेदकों का 1/2 हिस्सा दर्ज है । आवेदकों ने अनावेदकों को पक्षकार बनाए बिना उक्त भूमि में से 8400 वर्गफुट भूमि का डायवर्सन किए जाने बावत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 14–12–11 को डायवर्सन स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने कलेक्टर के समक्ष जो अपील की इस अपील में कलेक्टर ने दिनांक 1–5–12 को आदेश पारित करते हुए यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डायवर्सन करने के पूर्व हितबद्ध को पक्षकार नहीं बनाया गया पटवारी के नक्सा से अक्स मिलान नहीं किया गया । अतः कलेक्टर ने अनुविभागीय	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुए यह निर्देश दिये कि भविष्य में आदेश के पूर्व समस्त शामिल खाते का बटवारा कर प्रथक रकबा करते हुए नक्शे में तरमीम करने के बाद ही डायवर्सन किया जाये । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि जिस भूमि का अनुविभागीय अधिकारी ने डायवर्सन किया है उक्त भूमि आवेदकों ने पंजीकृत विकयपत्र से कय की है । अनावेदकों को अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील करने का अधिकार नहीं था । दोनों पक्षों के मध्य पूर्व से बटवारे की कार्यवाही प्रचलित थी जिसमें तहसीलदार ने प्र0क0 13/11–12/अ–27 में पारित आदेश दिनांक 9–7–13 को प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के हित में बटवारे में दी है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन सर्वे नंबर संयुक्त रूप आवेदकों एवं अनावेदकों के नाम भूमिस्वामी के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है । ऐसी स्थिति में जब तक उभयपक्ष के मध्य बटवारा नहीं हो जाता और सभी भूमिस्वामियों के पृथक–पृथक हिस्से

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3348–एक/15 जिला – श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कायम नहीं हो जाते तब तक आवेदकों के बताये अनुसार डायवर्सन नहीं किया जा सकता था । इस तथ्य को अनुविभागीय अधिकारी ने अनदेखा किया है । आवेदकों द्वारा उनके विकयपत्र में दर्शित चतुर्सीमा के विपरीत नक्शा तैयार कराकर डायवर्सन कराया गया है । विचारण न्यायालय द्वारा ना तो विधिवत इश्तहार का प्रकाश किया गया और ना ही अनावेदकगण जो कि हितबद्ध पक्षकार थे उन्हें सुनवाई का कोई अवसर दिया गया और सारी कार्यवाही मनमाने तरीके से की गई है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायालय का ध्यान अनुविभागीय अधिकारी की आदेश पत्रिका की ओर दिलाया गया, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण 21–11–11 को पंजीबद्ध कर आगामी पेशी दिनांक 7–12–11 नियत की गई किंतु 7–12–11 को प्रकरण न लेते हुए दिनांक 14–12–11 को लिया जाकर आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि कि तहसीलदार के जिस आदेश दिनांक 9–7–13 का सहारा आवेदक द्वारा लिया जा रहा है, उक्त आदेश की कोई जानकारी उन्हें नहीं है । उक्त आदेश दिनांक 9–7–13 का है जबकि अपर आयुक्त का आदेश 6–8–15 का अपर आयुक्त के समक्ष उक्त आदेश पेश नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश चोरी–छुपे	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पारित कराया गया है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा कहा गया कि कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर उचित कार्यवाही की है और कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । 7/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन भूमियों के संयुक्त भूमिस्वामी आवेदकगण एवं अनावेदकगण हैं । आवेदकों द्वारा बिना अनावेदकों को पक्षकार बनाए भूमि के व्यपवर्तन का आवेदन दिया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्य को अनदेखा करते हुए बिना विधिक प्रकिया का पालन किए राजस्व निरीक्षक के दिनांक 7–12–10 के प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया गया है ना तो आवेदकों द्वारा प्रस्तुत नक्शे का मिलान पटवारी के नक्शे से किया गया है और ना ही अनावेदकों को किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश को निरस्त कर यह निर्देश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है कि भविष्य में आदेश के पूर्व समस्त शामिल खाते का बंटवारा कर पृथक रकबा करते हुए नक्शे में तरमीम करने के बाद भूमि का डायवर्सन करें । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, उनके द्वारा भी प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित कर कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखने में कोई न्यायिक एवं विधिक त्रुटि नहीं की है । जहां तक आवेदक द्वारा प्रस्तुत तहसीलदार के बटवारा आदेश	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3348–एक/15 जिला – श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दिनांक 9–7–13 का प्रश्न है, उक्त आदेश अपर आयुक्त के समक्ष क्योंकर पेश नहीं किया गया इसका कोई ठोस कारण आवेदक अधिवक्ता पेश नहीं कर सके, वैसे भी इस आदेश का इस डायवर्सन प्रकरण से कोई संबंध नहीं है । ऐसी स्थिति में उक्त आदेश का कोई लाभ आवेदक को प्राप्त नहीं होता है दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–8–15 स्थिर रखा जाता है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हो । (एम0 के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर	